

पाँचवा-स्तम्भ



25 years
1983 2008
CUTS
International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 12, अंक 3/2011

... में भी अन्ना, तू भी अन्ना

मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना इसी उद्घोष के साथ पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से एक बड़ा आन्दोलन चला। जनलोकोपाल बिल के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन और देशव्यापी आन्दोलन से केन्द्र सरकार किर्कतव्यविमूढ़ की स्थिति में रही।

यह सर्वविदित है कि देश में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनाचार और आपराधिक प्रवृत्ति का साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता द्वारा चुने गए कई जनप्रतिनिधि आम जन के साथ दगा कर रहे हैं और जनता के धन की न केवल बर्बादी कर रहे हैं, बल्कि गैरवाजिब तरीकों से अपनी जेबें भी भर रहे हैं। सामने आ रहे विभिन्न घोटाले इस सच्चाई को बयान करते हैं।

यह भी साफ है कि सरकार की मंशा ऐसे कारनामों में लिप्त मंत्रियों, दलालों व अधिकारियों को बचाने में लगी है। इससे पूरे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। सत्तारूढ़ मंत्री व नेतागण ऊलजलूल बयान देकर जनता को भ्रमित करने में व्यस्त है।

आमजन व्यथित है और सरकारी ढर्रे और व्यवस्थाओं में बदलाव लाने के लिए आन्दोलन के अलावा उसके पास क्या कोई चारा बचा है? क्या लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ऐसे और भी कई सवाल हैं। पूरे देश में इस बाबत बहस छिड़ी है। उम्मीद की जाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आन्दोलन अवश्य ही अपना रंग दिखाएगा और सामाजिक व सरकारी व्यवस्थाओं में अहम बदलाव लाने वाला साबित होगा।

‘सेव टू सर्वाइव’ ऊर्जा कुशल उत्पादों पर जागरूकता अभियान का शुभारम्भ



राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कट्स द्वारा 14 सितम्बर, 2011 को रोटरी क्लब, जयपुर में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सुमित माथुर, परियोजना प्रबंधक, राजस्थान नवीकरण ऊर्जा निगम ने कहा कि सरकार द्वारा ऊर्जा संचयन एवं अक्षय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। राज्य में उद्योगों द्वारा ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा प्रबंधकों व ऊर्जा अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो कि ऊर्जा के वार्षिक उपभोग का अंकेक्षण करेंगे। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से ऊर्जा के कुशल उपयोग पर अधिक से अधिक जागरूकता लाने और अभियान में अपना सहयोग देने का अनुरोध किया।

अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने ऊर्जा संचयन व ऊर्जा कुशल उत्पादों के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के उपयोग से बिजली खपत में होने वाली बचत से उपभोक्ता को आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण से ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। ऊर्जा बचाने के उपकरण उपभोक्ताओं के हित में हैं और इनके उपयोग से ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

इससे पूर्व कट्स परियोजना अधिकारी अमरदीप सिंह ने सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए बताया कि कट्स द्वारा यह अभियान ‘स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन’ के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान का खास मकसद ऊर्जा बचाने वाले उत्पादों की जानकारी बढ़ाना, ऊर्जा की बचत के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उनसे परामर्श करना है। इस अवसर पर गुंज संस्थान के कलाकारों द्वारा विषय आधारित नाटक का मंचन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस अंक में...

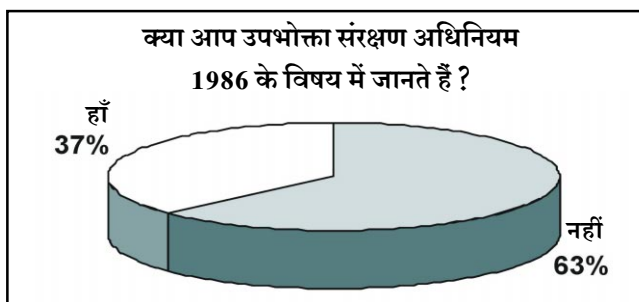
- धीमा पड़ा राजस्थान में विकास 3
- दो साल में और अमीर हुए केन्द्रीय मंत्री 4
- बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर करंट 8
- नेट पर मिल सकेगा पानी का हाल 9
- महिला आरक्षण: एक और कोशिश नाकाम 10

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

राजस्थान में उपभोक्ताओं की स्थिति

प्रदेश में उपभोक्ताओं की स्थिति का आंकलन करने के मकसद से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की 25वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही 'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत कट्स द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है।

सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों से यह उभरकर सामने आया कि अभी भी राज्य के 63 प्रतिशत लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के विषय में जानते तक नहीं हैं, जबकि इस कानून को बने 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सर्वे में परियोजना के 12 जिलों के विभिन्न सामाजिक व आर्थिक वर्ग के कुल 2349 उपभोक्ताओं से जानकारी जुटाई गई, जिसमें 62 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है तथा उनमें से मात्र 7 प्रतिशत उत्तरदाता ही अशिक्षित हैं।



सर्वे परिणामों के अनुसार मात्र 37 फीसदी उपभोक्ताओं को अधिनियम की जानकारी है एवं इसमें से मात्र 38 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही फोरमों द्वारा मुआवजा देने की सीमा का ज्ञान है। इन 38 फीसदी उपभोक्ताओं में से मात्र 10 प्रतिशत ने ही उपभोक्ता फोरमों में शिकायत दर्ज की और इस 10 प्रतिशत में से 72 प्रतिशत उपभोक्ता, फोरमों के निर्णय और तय सीमा से संतुष्ट पाये गये हैं।

खुदरा मूल्य की जानकारी से सम्बन्धित एक प्रश्न से यह सामने आया कि 55 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही इसकी जानकारी है और 53 फीसदी उपभोक्ता खरीदारी के समय बिलों की मांग करते हैं, जो कि जागरूकता के स्तर का एक शुभ संकेत है। सर्वे परिणामों के अनुसार 57 प्रतिशत उपभोक्ता भ्रामक प्रचार से

पीड़ित होने पर भी कार्यवाही करने से बचते हैं। लेकिन 77 प्रतिशत उपभोक्ता खरीदारी से पूर्व वस्तु की जांच परख करते हैं और इनमें से 85 प्रतिशत उपभोक्ता बिना तिथि अंकित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करते हैं, जो कि सकारात्मक संकेत है।

उपभोक्ता अदालतों में वकीलों के हस्तक्षेप को लेकर 41 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी यह महसूस करते हैं कि वकील इस विषय में अधिक पारंगत है। उपभोक्ता जागरूकता के अभाव के कारण परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। यदि इस कमी को दूर करले तो वे भी यह महसूस करेंगे कि उपभोक्ता कानून के अनुसार उपभोक्ता फोरम में वकीलों की आवश्यकता नहीं है।

सर्वे के अन्तर्गत अन्य सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों में मात्र 36 प्रतिशत उपभोक्ता ही उपभोक्ता कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यों के लिए सरकारी प्रयासों से प्रसन्न हैं और उपभोक्ताओं की आम राय है कि सरकार प्रयास तो काफी कर रही है, लेकिन इन प्रयासों का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः इस दिशा में और अधिक शोध और कार्यवाही की आवश्यकता है। सर्वे के दूसरे भाग में उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थों के विषय में जानकारी मांगी गई थी, इसमें प्रमुख रूप से खाद्य-अपमिश्रण, खाद्य कानून और उनसे सम्बन्धित विभाग प्रमुख थे। इस विषय में 67 प्रतिशत उपभोक्ताओं को खाद्य विषय के कानून की जानकारी का अभाव है, जो कि बेहद चिंताजनक है। अधिकांश खाद्य-अपमिश्रण मामलों के विरुद्ध लोगों में उत्साह/जागरूकता का अभाव देखा गया है, क्योंकि अधिकांश इससे पीड़ित उपभोक्ताओं को यह नहीं मालूम कि वे इन शिकायतों को लेकर कहां जाएं?

राज्य सरकार द्वारा चलाया गया 'शुद्ध के लिए युद्ध' के मामलों में 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं को जानकारी तो है, लेकिन 51 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने इस अभियान को आंशिक रूप से ही सफल माना है और इसके उद्देश्यों के विषय में भी उनको आधा-अधूरा ज्ञान है। अधिसंख्य स्थानों पर उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके जिलों में प्रयोगशाला नहीं है या फिर क्रियाशील नहीं है।

उपरोक्त परिणामों को अगर हम देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियां

'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत 6 जुलाई, 2011 को जयपुर में परियोजना की मध्यावधि मूल्यांकन बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के तहत डेढ़ वर्ष की अवधि में की गई गतिविधियों की उच्च स्तरीय बाह्य समीक्षा करवाई गई। इस बाह्य समीक्षा के लिए गांधी नगर, अहमदाबाद के डॉ. संतोष कुमार ने समीक्षक के रूप में परियोजना पार्टनरों के साथ विस्तार से चर्चा की। 5 जुलाई को उन्होंने ने दो जिलों, टोंक व कोटा का दौरा कर जिला स्तर पर की गई गतिविधियों का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया तथा इस दौरान आई कठिनाईयों व प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की।

अगस्त माह में स्थानीय पार्टनरों के सहयोग से परियोजना में शामिल सभी 12 जिलों में स्थानीय स्तर पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में परियोजना के तहत किये गये सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मीडिया जगत को अवगत कराया गया। इस सर्वे का उद्देश्य उपभोक्ता सम्बन्धित विभिन्न विभागों और मुद्दों के प्रति उपभोक्ताओं की क्षमता, ज्ञान, कौशल और जागरूकता का आंकलन एवं इन जिलों में खाद्य पदार्थों की स्थिति व गुणवत्ता सम्बन्धित स्थिति का आंकलन करना था।

इसी तरह परियोजना के अन्तर्गत अगस्त व सितम्बर माह में 12 जिला मुख्यालयों पर दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें मुख्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में 'कट्स' प्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्तर के अधिकारियों और उपभोक्ता क्षेत्र के कार्यरत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं से प्रशिक्षणार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व उसके अन्तर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया, अधिकारों व दायित्वों की जानकारी दी गई। ये कार्यशालाएं जिला पार्टनरों के सहयोग से आयोजित की गईं, जिनमें स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ता, मीडिया, सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, संदर्भ व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन कार्यशालाओं में सम्बन्धित जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से आये भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया और धरातल स्तर पर सक्रिय रूप से उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु उनका क्षमतावर्धन किया गया।

धीमा पड़ा राजस्थान में विकास

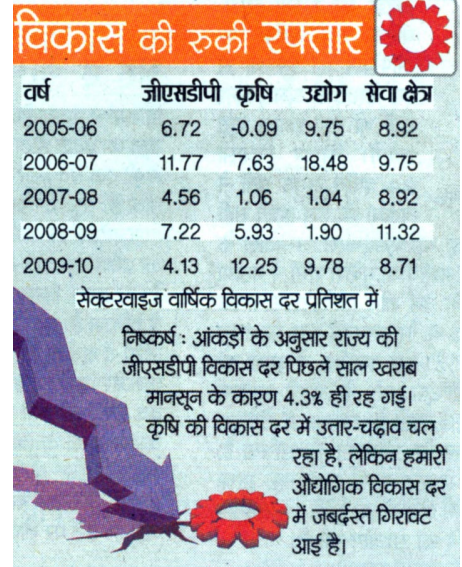
राजस्थान में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले तीन साल में न तो प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिला और न ही कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। राज्य की आमदनी घट रही है, जबकि खर्चा बढ़ता जा रहा है। वेतन व मजदूरी पर खर्चा राजस्व आय का 40 फीसदी तक हो गया है।

आम आदमी के हिसाब से देखें तो आमदनी के अनुपात में 60 फीसदी तो कर्जा ही है। प्रति व्यक्ति सालाना आय 25,616 रुपए है, जबकि कर्ज 14,407 रुपए है। औसत विकास दर भी राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत के मुकाबले 4.3 प्रतिशत ही रही। हरियाणा की विकास दर 9.9, पंजाब की 8.8 और गुजरात की विकास दर 10.53 प्रतिशत रही है। घटती जोत और पानी की कमी के कारण कृषि का विकास भी नहीं हो पा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए भी राज्य में कोई प्रभावी नीति नहीं है।

(द्वै.भा., 31.07.11)

बाकी है उम्मीद की किरण

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव
एम.एल.मेहता का कहना है
कि सरकार पूंजी निवेश को
बढ़ावा देकर प्रदेश का विकास
कर सकती है। हाइड्रोकार्बन,
पर्यटन, सौर ऊर्जा और नॉल्लेज
इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाया जा
सकता है। अपनी उपयोग
दक्षता बढ़ाकर केन्द्र की
योजनाओं का लाभ उठाया
जा सकता है।



बिना प्रवेश उठा ली छात्रवृत्ति

एक ओर प्रदेश में छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर हजारों छात्र प्रेशान रहते हैं, वहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने दूसरे राज्यों के निजी कॉलेजों में बिना प्रवेश लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्तियां दे दी। ये छात्रवृत्तियां कर्नाटक राज्य के निजी कॉलेजों में विभिन्न डिप्लोमा कोर्स और जीएनएम नर्सिंग करने के नाम पर उठाई गई हैं, जिससे अब विभाग के लोगों की भूमिका भी कटघरे में है।

मामला सामने आने पर अब विभाग ने कर्नाटक के इन कॉलेजों में पड़ताल के लिए एक जांच अधिकारी को भेजा है। जांच में सामने आया कि राज्य के करीब 1500 से भी ज्यादा छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, वे उन कॉलेजों में अध्ययन ही नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने आवेदन के साथ निजी कॉलेजों के दस्तावेज लगा रखे हैं। पिछले कई सालों से विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदेश के दूसरे राज्यों में अध्ययन कर रहे छात्रों को बिना पुष्टि किए छात्रवृत्ति आवंटित की जा रही है।

(द्वै.भा., 23.09.11)

सरकार दबा कर बैठी करोड़ों रुपए !

राज्य के अभयारण्यों में ईको-ट्यूरिज्म विकास के लिए पर्यटकों से ईको डवलप सरचार्ज के रूप में ली जा रही करोड़ों रुपए की राशि बरसों से सरकार दबा कर बैठी है। अभयारण्यों के विकास के नाम पर यह राशि ली गई, लेकिन आज तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। खजाने में पड़े करोड़ों रुपए सरकार ने आज तक वन विभाग को वापस नहीं दिए हैं।

राज्य में स्थित अभयारण्यों में प्रवेश के लिए सरकार पर्यटकों से जो प्रवेश शुल्क लेती है, उसमें से 75 फीसदी राशि ईको ट्यूरिज्म मद में होती है। इस राशि का आंकड़ा पूरे राज्य में सालाना करोड़ों रुपए तक पहुंचता है। अकेला उदयपुर वन्यजीव मण्डल वर्ष 2004 से 2011 तक 165.33 लाख रुपए सरकार को ईको डवलपमेंट सरचार्ज के रूप में दे चुका है। यह पैसा सरकार के पास जमा है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है?

(रा.प., 10.08.11)

सर्व शिक्षा अभियान की बदहाली

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत एक ओर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वहीं राज्य में 875 सरकारी स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। जिनमें सबसे ज्यादा 799 प्राथमिक स्कूल हैं। विभिन्न सरकारी स्कूलों में 27 हजार 368 कक्षा कक्ष ऐसे हैं जिनमें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक शिक्षा के इन स्कूलों की इस खस्ता स्थिति का खुलासा सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 2010-11 की रिपोर्ट से सामने आया है। सूचीबद्ध 73 हजार 548 स्कूलों में से 1514 स्कूल एकल कक्षा कक्ष में चलाए जा रहे हैं। 14 हजार 719 स्कूलों को मात्र एक एक शिक्षक के भरोसे छोड़ा हुआ है।

(रा.प., 26.09.11)

सुशासन में पोल उम्मीदें गोल

राज्य सरकार की एक ताजा रिपोर्ट ने प्रदेश के सुशासन की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, कृषि, राजस्व व पशुपालन जैसे जनता से सीधे जुड़े

विभागों सहित अन्य महकमों में 1,43,895 पद खाली चल रहे हैं। इनमें से 10,742 पद पिछले साल खाली हुए हैं।

प्रशासन की सुस्ती का नमूना यह है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के बकाया प्रकरण 73,814 से बढ़कर 96,194 हो गए हैं। पेंशन प्रकरण जल्दी निपटाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पेंशन प्रकरण 3,874 से बढ़कर 13,151 हो गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव एम.एल.मेहता का कहना है कि एक तरफ पद खाली दूसरी तरफ बेरोजगारी अच्छी स्थिति नहीं है।

(रा.प., 12.09.11)

जयपुर डिस्कॉम में ट्रांसफार्मर गायब

जयपुर डिस्कॉम में करोड़ों के माल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। दौसा सर्किल के बसवा सब डिवीजन कार्यालय के भौतिक सत्यापन के दौरान 1000 से भी ज्यादा ट्रांसफार्मरों का लेखा-जोखा ही नहीं मिला। चार हजार से भी ज्यादा विद्युत खम्भों के बारे में भी जानकारी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं मिली।

बसवा सब-डिवीजन के अलीपुर ढेर, हिंगोटा और बाजपाड़ा गांव में सतर्कता दल द्वारा अवैध रूप से ट्रांसफार्मर और 11 केवी लाइन डालकर विद्युत चोरी का मामला पकड़ा गया था। इस दौरान जांच करने व सर्किल से माल का रिकार्ड मिलाया गया तो सारी पोल सामने आई। मामले में दो कनिष्ठ अभियंताओं को हेराफेरी और अनियमितता करने का दोषी मान कर निलम्बित किया गया है। मामले की जांच जारी है। विभागीय अधिकारी खुर्द-बुर्द माल की कीमत करोड़ों रुपए बता रहे हैं।

(रा.प., 13.07.11)

खान विभाग की गड़बड़ियां उजागर

राज्य के खान विभाग में 402 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। ये गड़बड़ियां अवैध खनन की पेनल्टी वसूलने, गलत तरीके से खान पट्टे जारी करने, खनिज परिवहन के चालानों के दुरुपयोग और पूरी वसूली नहीं करने के मामलों में पाई गई हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की सालाना रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। कैग ने खान विभाग की अवैध खनन की रोकथाम के लिए मॉनीटरिंग व्यवस्था को भी लचर बताया है और इसमें कई सुधारों की जरूरत बताई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि खनिज परिवहन के चालान पत्र के मॉनीटरिंग की व्यवस्था सही नहीं होने से राजसमंद, बांसवाड़ा, नागौर, सिरोंही और उदयपुर की खानों में 200.19 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां पाई गई हैं। अवैध रूप से खनिज निकालने के मामलों में विभाग द्वारा 103 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई। अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने से 38 करोड़ रुपए और सीमेंट कंपनियों से कम वसूली से 32.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। (रा.प. एवं वै.भा., 28.08.11)

नियम तोड़ खरीदी सोनोग्राफी मशीन

शास्त्री नगर जयपुर स्थित सरकारी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन खरीदने के लिए जो कायदे और नियम बनाए गए थे, उनको तोड़कर कमतर गुणवत्ता वाली सोनोग्राफी मशीन खरीदी गई। इससे कॉलेज प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। प्रशासन ने टेंडर की शर्तों से परे जाकर जो मशीन खरीदी है उसका खामियाजा अब मरीजों को भुगतना पड़ेगा।

यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत सामने आए दस्तावेजों से हुआ है। मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक श्रेणी की मशीन

खरीदने के लिए टेंडर में तकनीकी स्टैंडर्ड और शर्तें रखी गई थीं, लेकिन प्रशासन ने मापदंड पर खरी उतरने वाली कंपनियों को बाहर कर, टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी के टेंडर को स्वीकृत कर दिया। खरीद के लिए बनी तकनीकी कमेटी का कहना है कि मशीन की खरीद गुणवत्ता के आधार पर ही की गई है।

(दै.भा., 26.07.11)

23 करोड़ का अवैध खनन घोटाला

खनन माफिया, अफसरों व राजनेताओं की मिलीभगत से झुंझुनू जिले के मोडा पहाड़ क्षेत्र में 23 करोड़ रुपए का अवैध खनन घोटाला सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हुई जांच में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की बात साबित होने पर पहले खानें बन्द करवा दी गई, लेकिन बाद में अधिकारियों व नेताओं ने अवैध खनन की 23 करोड़ रुपए की वसूली किए बिना खानें वापस खुलवा दी।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय को दुबारा शिकायत करने पर उच्च स्तर से जब नाराजगी व्यक्त की गई और खानें तत्काल बन्द करने के निर्देश दिए तब जाकर खनन बन्द हुआ। विभाग में अब खान मंत्री कार्यालय, अतिरिक्त खान निदेशक और खनन अभियंता की भूमिका की जांच हो रही है। (रा.प., 19.09.11)

विद्यार्थी मित्रों के भुगतान में की गड़बड़ी

शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक की महालेखाकार ऑडिट रिपोर्ट में तीन जिलों के विद्यार्थी मित्रों के मानदेय भुगतान में 7 करोड़ 22 लाख 93 हजार 600 रुपए की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भीलवाड़ा, बाड़मेर व इंगरपुर में स्वीकृत पदों से अधिक विद्यार्थी मित्र नियुक्त कर उन्हें भुगतान किया गया।

शिक्षा निदेशक ने इस रिपोर्ट के बाद तीनों जिला शिक्षा अधिकारियों को गड़बड़ी के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में 2572 पदों की जगह 2799 विद्यार्थी मित्रों को भुगतान किया गया।

महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट वित्त विभाग को भिजवाई जाती है तथा आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को भिजवाई जाती है। वित्त विभाग को अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

(दै.भा., 02.08.11)

दिशाहीन रही कल्याणकारी योजनाएं

सरकारी योजनाओं में मनमाने तरीके से पैसा खर्च करने और मॉनीटरिंग के अभाव में राज्य सरकार को 200.75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। भारत के नियंत्रक व महालेखाकार परीक्षक की सालाना रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं दिशाहीन रही हैं।

राजस्थान की मुख्य महालेखा परीक्षक सुमन सक्सेना ने बताया कि सरकारी विभागों में नियमों की पालना नहीं करने पर 7.43 करोड़ रुपए, 27.66 करोड़ रुपए बिना औचित्य खर्च करने, 66 करोड़ की अनियमितताओं और विफलता से 200 करोड़ रुपए के नुकसान के मामले उजागर हुए हैं।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अफसरों ने गलत तरीके से 34.63 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां अपात्र लोगों को बांट दी। रिपोर्ट में इसी तरह सरकार की सात लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की समीक्षा में कई खुलासे दर्ज हैं। जयपुर की बीसलपुर योजना व पंचायतीराज की नमूना ऑडिट में भी कई आपत्तियां दर्ज की गई हैं। (रा.प. एवं वै.भा., 27.08.11)

दो साल में और अमीर हुए केन्द्रीय मंत्री

पिछले दो सालों में यूपीए सरकार के ज्यादातर मंत्री और भी ज्यादा अमीर हो गए। इस अवधि में औसतन एक मंत्री की सम्पत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर दी गई मंत्रियों की सम्पत्ति के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च और नेशनल इलेक्शन वाच ने इसे उजागर किया है।

तैयार की गई सूची के अनुसार सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री और डीएमके सांसद डॉ. एस जगतरक्षकन की सम्पत्ति में सबसे ज्यादा 64.5 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2009 में अपने हलफनामों में उन्होंने 5.9 करोड़ की सम्पत्ति बताई थी, जो अब बढ़कर 70 करोड़ हो गई है। तैयार की गई सूची में दूसरे नम्बर पर भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम है। पिछले दो साल में उनकी सम्पत्ति 42 करोड़ बढ़ी है। उनकी सम्पत्ति अब 122 करोड़ रुपए की बताई गई है। (दै.भा., 16.09.11)



घूसखोरों ने बदला रिश्वत लेने का तरीका

भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ती जागरूकता और एसीबी-सीबीआई की आए दिन की कार्रवाई से भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है। गिरफ्त से बचने के लिए उनका रिश्वत लेने का तरीका बदलने लगा है।

अब भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी खुद घूस की रकम को हाथ नहीं लगाते, बल्कि इसके लिए वे दलाल रखने लगे हैं। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के इशारे पर यह दलाल रिश्वत की रकम लेते हैं और फिर उनके घर पहुंचाते हैं। अफसर और कर्मचारी ही तय करते हैं कि किससे कितनी रकम कहां लेनी है।

पिछले दिनों एसीबी और सीबीआई की कुछ ट्रेप कार्रवाई में अफसरों के इशारे पर रिश्वत लेते दलाल हथिये चढ़े हैं। गिरफ्त में आए इन दलालों से पूछताछ पर सामने आया कि जिनके लिए वे काम करते हैं, वे रिश्वत में से दस फीसदी कमीशन उन्हें देते हैं।

पांचवा स्तम्भ के पिछले अंकों में भ्रष्टाचार की बानगियों में कई घूसखोर अफसरों के साथ दलालों के भी नाम दिए गए हैं जिनके मार्फत उन्होंने रिश्वत की रकम ली थी। (रा.प., 31.07.11)

कारोबार में सीढ़ी बना भ्रष्टाचार

देश में भ्रष्टाचार अब कारोबारी सफलता के लिए सीढ़ी बनता जा रहा है। यदि इस भ्रष्टाचार युक्त तंत्र में कोई भागीदार न बने तो उसके लिए अपना कारोबार बढ़ाना बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है। यह कहना है देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का।

उन्होंने कहा है कि उदारीकरण के कारण सरकारी तंत्र ने अपनी नीतियों को भले ही उदार बना दिया हो लेकिन उसके साथ तंत्र में भ्रष्टाचार का प्रवाह बड़ी तेजी से बढ़ा है। जो कारोबारी रिश्वत नहीं दें उसके लिए काम करना वाकई मुश्किल हो गया है। वे कहते हैं कि मुझसे मेरे युवा कर्मचारी कहते हैं कि हमारे इतने काम रिश्वत नहीं देने के कारण अटक जाते हैं, यदि हम इस लाइन पर सहज हो जायें तो हमारा काम कभी रुके नहीं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि मैं सिर झुका कर जीने में विश्वास नहीं करता। (न.जु., 25.08.09)

विवेकाधीन कोटा होगा खत्म

भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्र सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में तय

अफसरों की

हर स्वता माफ

कार्मिक और अन्य विभागों में रिश्वत लेने, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने के संबंध में दोहरा रवैया अपना रखा है। भ्रष्टाचार में लिप्त चपरासी, बाबू, पटवारी, ग्राम सेवक आदि चतुर्थ और तृतीय क्षेत्रीय के कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति के आवेदन पर तो तुरंत-फुरत मंजूरी मिल जाती है, लेकिन अफसरों के प्रति कार्मिक और अन्य सरकारी विभाग नरम रुख अपनाए रखते हैं।

प्रदेश में करीब एक सौ से भी अधिक राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी अभियोजन की स्वीकृति के मामले कार्मिक, स्वायत्त शासन, राजस्व आदि विभागों में सालों से अटके हुए हैं।

जवाब तक नहीं भेजते



एसीबी और अन्य जांच एजेंसी आरोपित अफसर और कर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए पत्र लिखती रहती है लेकिन कार्मिक तथा अन्य सरकारी विभाग पत्रों का जवाब तक नहीं देते। पांच-सात साल बीतने पर एसीबी को मजबूरन अदालत में एफआर पेश करनी पड़ती है।

(रा.प., 01.08.11)

किया गया है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सबसे पहले केन्द्रीय मंत्रियों का विवेकाधीन कोटा समाप्त किया जाएगा। इस कोटे के तहत मंत्रियों को पेट्रोल पम्प के आवंटन, विभिन्न बोर्डों में सदस्य नियुक्त और केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले जैसे कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए थे।

बैठक में भ्रष्ट अधिकारियों की पेंशन से कटौति करने और रिटायरमेंट के बाद भी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस चलाने जैसे कई निर्णय भी लिए गए हैं। समूह ने इस बारे में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने की संभावना है। (रा.प. एवं दै.भा., 15.09.11)

भ्रष्टाचार से समझौता नहीं

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लेने के बाद प्रदीप कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार को लोगों और राष्ट्र को प्रभावित करने वाली बीमारी करार देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर न तो उच्च पद सोपान का एकाधिकार है और न ही निम्न पद सोपान का। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है, उससे सख्ती और दृढ़ता से निपटा जाएगा।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टों को दंडित करने के लिए मैं सिर्फ यही चेतावनी जारी करूंगा कि हम ऐसा माहौल तैयार नहीं करना चाहते जहां निजी दुश्मनी निकाली जाए। हम एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं जहां ईमानदार लोग निडर होकर काम कर सकें। (रा.प., 15.07.11)

भ्रष्टाचार से एक दशक में लगी चपत

हाल ही किए गए एक शोध के मुताबिक बीते एक दशक में देश को भ्रष्टाचार से 1555 हजार करोड़ की चपत लगी है। पुणे की शोध एजेंसी इंडिया फॉरेंसिक द्वारा सीबीआई की मदद से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में हर नागरिक की जेब से लगभग 2000 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, जबकि 2008 में यह आंकड़ा 260 प्रतिशत कम था।

रिपोर्ट में भ्रष्टाचार में हुई इस तेजी पर चिंता जताते हुए इस पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। (दै.भा., 18.07.11)

भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई

रामबाण नहीं: प्रतिभा पाटील

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम जारी अपने संबोधन में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने सशक्त लोकपाल के गठन की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार रूपी कैसर से निपटने का कोई एक उपाय या रामबाण तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसके लिए विभिन्न स्तरों पर एक पारदर्शी व्यवस्था तथा जवाबदेही का निर्धारण होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार के खामों के लिए बहुस्तरीय प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि प्रभावी निरोधक एवं दंडात्मक उपायों से इस पर काबू पाया जा सकता है। (रा.प., 15.08.11)

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जोधपुर	बाबूलाल विश्नीई	कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम	10,000	रा.प., 05.07.11
जयपुर	रामधन चौधरी अरविन्द शर्मा	थाना अधिकारी, करणी विहार थाना, जयपुर दलाल	15,000	रा.प., 08.07.11
झुंझुनूं	नरेश कुमार नौरंगलाल	उप निरीक्षक, जिला परिवहन विभाग कार्यालय गार्ड, परिवहन विभाग	49,500	दै.भा., 10.07.11
उदयपुर	ज्ञानप्रकाश शर्मा	विकास अधिकारी, लसाड़िया पंचायत समिति	94,300	दै.भा. एवं रा.प., 16.07.11
जोधपुर	त्रिभुवन मंगल लक्ष्मण	सेल्स टैक्स विभाग के उपायुक्त (अपील) का पीए सेल्स टैक्स विभाग के उपायुक्त (अपील) का क्लर्क	5,000	रा.प. एवं दै.भा., 19.07.11
सीकर	मदनलाल पारीक	सहायक उप निरीक्षक, रींगस थाना, सीकर	4,000	रा.प. एवं दै.भा., 20.07.11
हनुमानगढ़	फतेहसिंह	सहायक उप निरीक्षक, भादरा थाना हनुमानगढ़	15,000	रा.प., 20.07.11
अजमेर जयपुर	आर.एल. टुकलिया लेखराज	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर वरिष्ठ लिपिक, जयपुर नगर नियोजक विभाग	3,00,000	रा.प., 23.07.11
जोधपुर	शंकर लाल गहलोत प्रभूराम एवं खगांराम	अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल संविदा चालक तथा खेत पर काम कर रहा मजदूर	60,000	दै.भा., 24.07.11
झुंझुनूं	रघुवीर सिंह कालेर	अधिशाली अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम	10,000	रा.प. एवं दै.भा., 27.07.11
भरतपुर	बनैसिंह	एसएसआई, नदबई थाना, भरतपुर	2,000	रा.प., 28.07.11
सीकर	बिरदी चन्द	सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,000	रा.प., 28.07.11
जयपुर	भंवर सिंह राजपुरोहित	मैनेजर, देवस्थान विभाग, जयपुर	11,000	रा.प., 30.07.11
झुंझुनूं	खुशीद अहमद	हैड कांस्टेबल, थाना मुकुन्दगढ़	3,500	रा.प., 02.08.11
बीकानेर	अजीत कुमार वर्मा जयदेव गोयल भगवती प्रसाद मुद्गल	अधिशाली अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहायक अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कनिष्ठ अभियन्ता, सेवा निवृत्त	50,000	रा.प., 04.08.11
जालौर	एस.के.शर्मा	मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा स्थानीय शाखा, सांचौर	8,500	रा.प., 04.08.11
झुंझुनूं	महावीर सिंह	सहायक उप निरीक्षक, बगड़ थाना	1,000	रा.प., 04.08.11
अलवर	दौजी राम मीणा	सहायक उप निरीक्षक, बानसूर थाना, अलवर	2,000	रा.प., 04.08.11
झालावाड़	श्याम मनोहर	हैडकांस्टेबल, चौमहला पुलिस चौकी	1,000	रा.प., 24.08.11
पाली	प्रभुराम गहनोलिया	डिविजनल मैनेजर, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30,000	दै.भा., 30.08.11
उदयपुर	नरेन्द्र कुमार जैन	सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	1,10,000	दै.भा., 06.09.11
धौलपुर	घनश्याम सिंह	रीडर, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय एससीएसटीसेल	3,000	रा.प. एवं दै.भा., 10.09.11
बीकानेर	विकास पांडे	हेल्पर, विद्युत विभाग, बादनूं, नोखा	1,000	रा.प. एवं दै.भा., 10.09.11
भरतपुर	श्री निवास	सहायक उप निरीक्षण, सेवर थाना, भरतपुर	1,000	रा.प., 11.09.11
श्रीगंगानगर	यादराम	हवलदार, रायसिंहनगर थाना परिसर	2,000	रा.प., 11.09.11
जयपुर	लालचन्द शर्मा	पटवारी, दौलतपुरा पंचायत, आमेर तहसील	11,000	दै.भा., 14.09.11
जयपुर	देवकीनन्दन गर्ग	सहायक लेखाधिकारी, प्रा.शिक्षा, शिक्षा संकुल	19,000	रा.प. एवं दै.भा., 20.09.11
कोटा	नेमी चन्द, तेजपाल सिंह	एसएसआई, कांस्टेबल, गुमानपुरा थाना, कोटा	4,000	रा.प., 25.09.11
झुंझुनूं	सत्यनारायण शर्मा	सफाई निरीक्षक, मण्डावा नगरपालिका, झुंझुनूं	10,000	रा.प., 26.09.11
श्रीगंगानगर	बलकार सिंह	एसएचओ का रीडर, विजय नगर थाना	8,000	रा.प., 30.09.11
सिरोही	मुमताज खान	कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सिरोही	20,000	रा.प., 30.09.11



बीपीएल आवास योजना शुरू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जैसलमेर के पोकरण व जोधपुर के फलौदी में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास' योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने पोकरण में 3047 व फलौदी में 4796 बीपीएल परिवारों को योजना के स्वीकृति पत्र बांटे।

इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि अगले तीन साल में राजस्थान पहला राज्य होगा, जिसमें हर गरीब परिवार के पास पक्का मकान होगा। योजना में केन्द्र सरकार की भागीदारी है लेकिन राज्य ने प्राथमिक जम्मा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 3400 करोड़ रुपए का ऋण लेकर 10 लाख निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराएगी।

इसके बाद उन्होंने अलवर, भरतपुर व धौलपुर जिलों में भी योजना के तहत स्वीकृति पत्र व चैक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने योजना को नरेगा से जोड़ने के लिए भी केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश को प्रस्ताव दिया है, जिस पर सकारात्मक कार्यवाही का उन्होंने भरोसा दिया।

(रा.प.एवं दै.भा., 26.07.11 एवं 27.07.11)

60 हजार तक आय वाले होंगे बीपीएल

राज्य के 7 जिलों में सालाना 60 हजार रुपए तक की आय वाले परिवार अब बीपीएल श्रेणी में शामिल होंगे। इन्हें 'मार्जिनल बीपीएल' कहा जाएगा। इन्हें सिर्फ राशन में ही लाभ मिलेगा अन्य बीपीएल योजनाओं के लाभ इन्हें नहीं मिलेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की केन्द्रीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष पी.डी.वाधवा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

गरीब श्रेणी के माने गए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोंही, करौली और झालावाड़ जिलों में मार्जिनल बीपीएल को प्रतिमाह दस किलो गेहूं 4 रुपए 70 पैसे प्रति किलो की दर से मिलेगा। इस प्रावधान से इन जिलों में करीब 16 लाख परिवारों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

(रा.प., 29.08.11)

डाक विभाग में 'आधार' योजना शुरू

राजस्थान में 'आधार' योजना के तहत डाक विभाग को 12 अंकों का 'आईडी' अर्थात विशेष पहचान पत्र जारी करने का काम दिया गया है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब आम आदमी को पहचान का प्रमाण मिलेगा। इसके अभाव में आम लोगों को कई छोटे-

मोटे कामों में दिक्कतें आती थीं, जिनसे अब निजात मिल जाएगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह योजना देश के 120 करोड़ लोगों को पहचान दिलाने के अलावा, जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं के वाजिब हक दिलाने में मदद करेगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं के सही लाभ मिल सकेंगे। हाल ही गरीबों को मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरक आदि पर नकद सब्सिडी देने पर भी विचार चल रहा है और इसे सीधे विशेष पहचान पत्र से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

(दै.भा., 03.08.11)

सांसद खर्च कर सकेंगे पांच करोड़

सांसद अब अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हर साल दो करोड़ के बजाय पांच करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। इस राशि का उपयोग वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई व स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण में कर सकते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे सरकार पर सालाना 2370 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यह राशि जिला या राज्यों को दी जाएगी, लेकिन 5 करोड़ रुपए के अधीन होगी। सांसदों ने संकल्प लिया है कि कार्यों पर वे खुद निगरानी रखेंगे।

(रा.प., 08.07.11)

लागू होगा सेवा गारंटी अधिनियम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य केबिनेट की बैठक में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य विधान सभा ने भी विधेयक पास कर दिया है। हालांकि यह काफी हंगामे के बीच पारित हुआ है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो पाई। इस विधेयक में आम लोगों के रोजाना काम पड़ने वाले 15 विभागों की 53 सेवाओं को शामिल किया गया है और हर काम के लिए एक निश्चित सीमा तय की गई है।

सरकारी कर्मचारियों और अफसरों ने यदि आम लोगों के काम तय समय पर नहीं किए तो विधेयक के प्रावधानों के तहत उन पर 500 से 5000 रुपए तक की पैनल्टी लग सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस विधेयक के लागू होने से लोगों के काम

समय पर होंगे और इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सेवाओं की गारंटी से संबंधित यह विधेयक लाने वाला राजस्थान का चौथा राज्य होगा। इससे पहले मध्यप्रदेश, बिहार और पंजाब में यह कानून का रूप ले चुका है।

(रा.प.एवं दै.भा., 25.08.11 एवं 30.08.11)

सीमा नहीं लांचे तीनों स्तंभ

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल पर जोर देते हुए कहा है कि इनमें से किसी भी अंग को दूसरे के कार्यक्षेत्र और अधिकारों में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे इन संस्थाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय हित को भी क्षति पहुंचेगी।

उन्होंने यह विचार जयपुर में 33 साल बाद आयोजित पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन के मौके पर 'नियंत्रण और संतुलन की संवैधानिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धान्त संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाता है।

संगोष्ठी के प्रारम्भ में विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच बहुत ही झीना परदा है, उन्हें परस्पर सहयोग की भावना से काम करना चाहिए।

(रा.प., 22.09.11 एवं 24.09.11)

दो अक्टूबर से मिलेगी मुफ्त दवा

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले करीब 4 करोड़ आउटडोर और करीब 36 लाख इनडोर मरीजों को दो अक्टूबर 2011 से जेनेरिक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की शुरुआत करने जा रही है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'राज्य स्तरीय स्वास्थ्य संगोष्ठी' में चर्चा करते हुए कलेक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि 14 सितम्बर से शुरू हो रही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं लिंगानुपात में कमी लाने और 2 अक्टूबर से लागू की जाने वाली मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण जैसी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सभी संकल्प लें। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं प्रदेश के हर जिले में पूरी तरह सफल होनी चाहिए।

(दै.भा., 24.07.11 एवं 03.09.11)

बिजली कम्पनियों का घाटा बढ़ा

राज्य की तीनों विद्युत कम्पनियों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। इस साल कम्पनियों को करीब 13 हजार करोड़ का घाटा होने का अनुमान है, जो अगले साल 15 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वर्तमान में कम्पनियों को जो राजस्व मिल रहा है उसमें से आधे से ज्यादा राशि तो कर्ज पेटे ब्याज व कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाती है।

बिजली कम्पनियों की यह भी दलील है कि जब बिजली कम्पनियां बनी, उस समय राज्य में 1586 करोड़ यूनिट की आपूर्ति की गई थी, जो अब बढ़कर 4645 करोड़ यूनिट हो गई है। सरकार के दबाव में कम्पनियां बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को खासकर किसानों को सस्ती दर पर आपूर्ति करती रही है। हालत यह हो गई कि बिजली कम्पनियों को बिजली खरीद और बेचान में ही हजारों करोड़ का नुकसान होता रहा है। (रा.प., 04.08.11)

खुले नहीं रहेंगे बिजली के तार

पिछले दिनों सड़कों पर खुले तार व पिलर बॉक्स के कारण लोगों को करंट लगने की शिकायतों के मद्देनजर ऊर्जा मंत्री ने जयपुर शहर का दौरा किया था। जिसमें कई स्थानों पर खुले तार व पिलर बॉक्स मिले थे। इसके बाद अधीक्षण अभियंता अर्जुन सिंह ने सभी एक्सईएन व एईएन की बैठक ली थी। इसमें चीफ इंजीनियर ए.के. कल्ला ने भी इंजीनियरों से बात की थी।

बिजली कंपनी के सीटी सर्किल अधीक्षण अभियंता ने इंजीनियरों को सख्त हिदायत दी है कि

उपभोक्ताओं की समस्याओं को टालने के बजाय उनका समाधान करें। उन्होंने शहर की सड़कों पर खुले तारों को सही करने, क्षतिग्रस्त सर्विस लाइन व केबल बदलने, पिलर बॉक्स पर दरवाजे व ताले लगाने के निर्देश दिए हैं। (दै.भा., 23.07.11)

मीटर खराब-कमाई औसत में सिमटी

बिजली मीटरों की खामियों के चलते उपभोक्ताओं की परेशानी की खबरें तो आम हैं, मगर इन खामियों का असर अब विद्युत वितरण निगम की जेब पर भी पड़ने लगा है। दरअसल मीटरों की खराबी के चलते उपभोक्ताओं को औसत बिल भेजा जाना शुरू किया गया था। अब हालत यह है कि जयपुर डिस्कॉम में औसत बिलिंग वाले उपभोक्ताओं का आंकड़ा 5 लाख के ऊपर पहुंच गया है।

डिस्कॉम के अधिकारी दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं कि औसत बिलों से हर माह लाखों रुपए की चपत लग रही है। मीटर खराबी के शोर-शराबे के बीच जब आला अधिकारियों के निर्णय पर सवाल उठने लगे तो अपनी खाल बचाने के लिए तीन विद्युत मीटर कम्पनियों को ब्लैक-लिस्टेड कर दिया। इसके बाद से डिस्कॉम में मीटरों का भी टोटा चल रहा है, जबकि मीटरों के खराब होने का सिलसिला जारी है। (रा.प., 22.07.11)

महंगी खरीद कर भी देंगे बिजली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली कटौती के समय को और घटाकर पूरी बिजली देने का प्रयास करेगी। उन्होंने

कहा कि चाहे इसके लिए महंगी बिजली क्यों न खरीदनी पड़े। इसके बाद भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे बिजली की बचत करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में बिजली कटौती चल रही है, लेकिन राज्य में कटौती को कम किया जाएगा। बिजली कम्पनियों का घाटा बढ़ रहा है और बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया है। राज्य में 1.70 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं और एक कनेक्शन पर एक लाख रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। सरकार बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

(दै.भा., 25.08.11)

गांवों में घंटों गुल रहती है बिजली

विद्युत कम्पनियों की मनमर्जी की कटौती ने ग्रामीणों की नींद हराकर दी है। ढाणी, गांव या कस्बा, प्रदेश के हर हिस्से में बिजली की कटौती हो रही है, वह भी बिना सूचना के और घंटों तक।

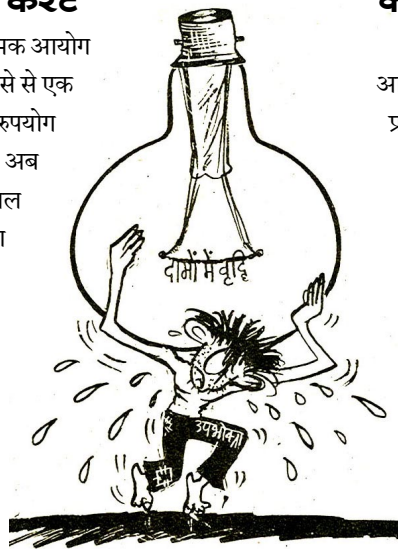
औद्योगिक इलाकों में भी पिछले एक माह से चार-चार घंटे की कटौती जारी है। अधिकारियों का कहना है कि फ्रिक्वेंसी की कमी के कारण यह कटौती हो रही है। दरअसल, विद्युत कम्पनियों की खस्ता आर्थिक हालत को देखते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुधांशु पंत ने किसी भी सूत्र में बाहर से महंगी दरों पर बिजली नहीं खरीदने के निर्देश दे रखे हैं और उपलब्ध बिजली से ही काम चलाया जा रहा है। (रा.प., 31.08.11)

बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर करंट

राज्य सरकार ने आखिरकार राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के फैसले को स्वीकार करते हुए बिजली दरों में 0.50 पैसे से एक रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए अब यह तय किया गया है कि उपभोक्ता अब जितनी बिजली का उपभोग करेगा उसे उसी दर से बिल चुकाना होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों में दर निर्धारण के पहले से अधिक वर्ग बनाए गए हैं।

वर्ष 2004 के बाद बढ़ाई गई ये दरें सितम्बर से लागू हो गई हैं। आयोग ने बीपीएल, कृषि और 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं के बिल में भी वृद्धि के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने सब्सिडी देकर इन वर्गों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बढ़ी हुई दरों का भार 60 प्रतिशत कृषि, बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं पर नहीं आयेगा। इनके लिए अभी सब्सिडी 500 करोड़ दी जा रही है जिसे अब 1000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।

(रा.प. एवं दै.भा., 09.09.11)



क्या ठीक है बिजली महंगी करना ?

राज्य सरकार ने बिजली दरों में जो बढ़ोतरी की है, वह आधारभूत जरूरतों से देखा जाए तो व्यावहारिक कदम नहीं है। प्रदेश के मध्यम आय वर्ग की बात करें या उद्योग व्यापार जगत की सबके लिए बिजली की बढ़ी दरें बहुत बड़ा बोझ बन गई हैं। इस फैसले का सबसे ज्यादा भार ईमानदार उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि बिजली चोरी करने वालों की ओर से लूटे जाने वाले आनंद का वह खामियाजा भुगतने को विवश है। दूसरे में बिजली कंपनियों की लापरवाही से हो रही छीजत का भार भी वह दोनों को अभिशप्त है।

राज्य सरकार और नियामक आयोग को पहले बिजली कंपनियों की भीतरी स्थिति को देखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि घाटा किस कारण से है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो यह घाटा तीन कारणों से हो रहा है। पहला बिजली चोरी व छीजत, दूसरा भारी भरकम स्टाफ और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंपनियों की ओर से की गई अनावश्यक बिजली खरीद। इन सबका भार जबरन उपभोक्ता पर डालना कहां तक न्यायोचित है। (न.ज., 14.09.11)

नहीं होती जलाशयों की सफाई

जयपुर शहर को पीने का स्वच्छ जल वितरण का दावा करने वाला जलदाय विभाग वर्ष में एक बार भी जलाशयों की सफाई नहीं करवाता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस सच्चाई को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने शहर के अधीक्षण व अधिशासी अभियंताओं को शहर के जलाशयों (स्वच्छ जलाशय-सीडब्ल्यूआर व सेवा जलाशय - एसआर) के कार्याकल्प और सफाई के निर्देश दे रखे हैं। वर्ष 2008 में इनकी सफाई के लिए 1.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

अनुबंध की अवधि नवंबर, 2009 तक थी, जिसे मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया। ठेकेदार को 34 स्वच्छ जलाशयों और 58 सेवा जलाशयों की सफाई के लिए मार्च, 2010 तक 87.67 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। विभाग ने शेष 24 स्वच्छ जलाशयों व 17 सेवा जलाशयों की सफाई के प्रयास ही नहीं किए।

(रा.प., 01.09.11)

पानी की गुणवत्ता की नहीं होती जांच

गुलाबी नगर में पीने के पानी की गुणवत्ता कैसी है। यह सवाल जब जलदाय विभाग से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि अच्छी है।

लेकिन हाल ही में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में बताया गया है कि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में हर नलकूप से भौतिक व रासायनिक मापदण्डों के लिए वर्ष में एक बार और जीव विज्ञान संबंधी मापदण्डों के लिए वर्ष में दो बार नमूने लेने का प्रावधान है लेकिन विभाग कुछ ही नमूने लेकर इतिश्री कर लेता है। विभाग का तर्क है कि स्टाफ की कमी की वजह से नमूने लेने में परेशानी आ रही है।

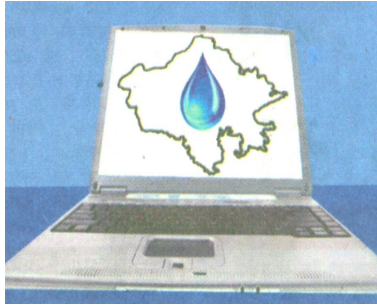
(रा.प., 02.09.11)

बढ़ेंगी पानी की दरें!

राज्य सरकार पानी की दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बारे में साफ संकेत दिए गए हैं। बैठक में जल नीति के प्रस्तुतिकरण के दौरान पानी की बर्बादी को रोकने की दृष्टि से पेयजल की वर्तमान दरों को युक्तिसंगत बनाने पर चर्चा हुई।

बैठक में यह बताया गया कि वर्तमान दरों में सब्सिडी का लाभ अमीरों को अधिक और गरीबों

नेट पर मिल सकेगा पानी का हाल



जलदाय विभाग प्रदेश के सभी 1.20 लाख गांव-ढाणियों का बैचमार्किंग सर्वे करवा रहा है। यह काम सितम्बर तक पूरा होने की संभावना है। इस सर्वे के आधार पर ही इन गांवों में भविष्य की पेयजल योजनाएं बनाई जाएंगी। यूरोपियन कमिशन की सहायता से किए जा रहे इस सर्वे में पानी का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा, जिसमें वर्तमान स्थिति के साथ भविष्य की जरूरतों का भी उल्लेख होगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें इस तरह का डाटा तैयार किया जा रहा है।

सर्वे के बाद सारा डाटा नेट पर होगा। इससे हर गांव में पानी की स्थिति का पता लग सकेगा। इस सर्वे का सबसे बड़ा फायदा भविष्य की पेयजल योजनाओं में होगा। वर्तमान में राज्य के 34 हजार गांव ऐसे हैं जहां पानी की स्थिति चिन्ताजनक है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर के साथ भरतपुर के गांवों में पानी के हालात ठीक नहीं हैं। इन गांवों के लिए सर्वे में विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

(रा.प., 25.08.11)

को कम मिलता है। इसे देखते हुए जलदाय विभाग को अन्य राज्यों में लागू दरों का अध्ययन करने को कहा गया है और हिदायत दी गई है कि गरीब व्यक्तियों को कम से कम दरों पर पानी मिले इसका ध्यान रखा जाए। सरकार अन्तिम निर्णय लेने से पहले प्रतिपक्ष को विश्वास में लेगी।

(रा.प. 21.07.11 एवं दै.भा. 27.7.11)

फिर बदलेंगे पानी के मीटर

जलदाय विभाग एक बार फिर जयपुर शहर में खराब मीटर बदलने की तैयारी में जुट गया है। इस बार वाटर ऑडिटिंग के नाम पर मीटर बदले जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी विभाग ने शहर

उत्तर प्रथम व द्वितीय के लिए जो निविदा जारी की है उस राशि में 25 हजार मीटर ही बदले जा सकेंगे, जबकि इन क्षेत्रों में खराब मीटरों की संख्या 80 हजार के करीब है। ऐसे में 55 हजार मीटर फिर भी खराब ही रह जाएंगे।

अतः 25 हजार मीटर बदलने के बाद भी सही वाटर ऑडिटिंग दूर की कौड़ी ही रहेगी। वाटर ऑडिट को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने के निर्देश हैं। इस समय-अवधि में मीटर बदलने का काम मुश्किल दिखाई दे रहा है।

(रा.प., 04.07.11 एवं दै.भा. 04.08.11)

रोजाना खुद रहे हैं अवैध बोरिंग

उच्च न्यायालय के आदेश है कि कलेक्टर की अनुमति के बिना बोरिंग नहीं हो सकती। इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध बोरिंग हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में करीब 150 बोरिंग मशीनें (रिम्स) हैं जो दिन रात यह काम कर रही हैं। डार्क जोन में भी बोरिंग खुद रहे हैं। शहर में भी जगह-जगह बोरिंग होने की शिकायतें मिलती हैं। लेकिन मौके पर कार्रवाई होने में इतना वक्त लग जाता है कि बोरिंग ही खुद जाता है।

पानी के दोहन पर लगाम लगाने के लिए सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को चारों ब्लॉक नोटिफाइड करने पड़े हैं। इसके बावजूद अधिकांश बोरवैल बिना अनुमति खोदे जा रहे हैं। ऐसे में यदि रिम्स संचालकों को पाबंद कर दिया जाए कि बिना अनुमति वे बोरिंग न खोदे तो प्रभावी रोक लग सकती है।

(दै.भा., 08.09.11 एवं 20.09.11)

पिलाएंगे सवा अरब को पानी

पानी की कमी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार पीपीपी मॉडल पर नए शोध कराएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निर्देश पर एक राष्ट्रीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी राजस्थान में विशेष फोकस करेगी। इसके लिए टाटा और अंबानी जैसे औद्योगिक घरानों से भी शोध कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए टाटा ने करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भी दिया है।

प्रदेश में अभी किसी औद्योगिक घरानों को इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। लेकिन जल्द ही ऐसा करने की संभावना है। इस कमेटी में राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगर्भशास्त्री प्रो.ए.के.सिन्हा को भी शामिल किया गया है। उनका कहना है कि योजना का खास मकसद लोगों को पानी का महत्व समझाना व शोध के जरिए पानी के बेहतर ढंग से कई उपयोग काम में लेने के तरीके ढूंढना है।

(रा.प., 21.07.11)

महिला आरक्षण: एक और कोशिश नाकाम

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने की एक और कोशिश नाकाम रही। उन्होंने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसमें आम राय नहीं बन पाई।

बैठक में पहले से ही विरोध कर रहे सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने विधेयक के मौजूदा स्वरूप को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को संसद और विधानसभाओं से दूर करने का षड्यंत्र है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के मौजूदा स्वरूप का समर्थन किया। ज्ञातव्य हो, यह विधेयक पिछले 15 सालों से संसद में अटका पड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहता कि विधेयक पारित हो और कानून का रूप ले। क्योंकि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस विधेयक के पारित होने से उन्हें अपनी दुकान उठती दिखाई देती है।



बटालियन के दीक्षांत परेड व शपथ ग्रहण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। राजस्थान उनके बताए मार्ग में पीछे नहीं है और महिलाओं को नौकरी सहित हर क्षेत्र में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

(दैन. भा., 03.08.11)

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना शुरू

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारम्भ करते हुए कहा है कि इससे महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक विकास होगा। राजस्थान में योजना की शुरुआत नई क्रांति लाएगी। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पाली में शुरू किया गया है। धीरे-धीरे इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

इस मौके पर राज्य की पर्यटन तथा महिला व बाल विकास विभाग की मंत्री बीना काक भी मौजूद थी। उन्होंने नया गांव स्थित पावरलूम उद्योग का शिलान्यास किया।

(रा.प., 17.09.11)

राजस्थान में बढ़े महिलाओं पर अत्याचार

राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में कमी आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने यह जानकारी लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार के राजस्थान में वर्ष 2008 में 988 मामले, 2009 में 1206 व 2010 में 1541 मामले दर्ज किए गए हैं।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 459 से बढ़ कर अगले साल 585 मामले और 2010 में 777 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2009 में जहां 8741 मामले दर्ज हुए थे वह अब 2010 में घटकर 7220 मामले रह गए।

(रा.प., 13.08.11)

बेटियों का कम होना खतरनाक

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भरतसिंह ने घटते लिंगानुपात पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की संख्या में यदि इसी दर से कमी होती रही तो सामाजिक रूप से असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह काफी खतरनाक होगी।

‘राज्य में गिरता लिंगानुपात: रणनीति और सुझाव’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में जिला प्रमुखों से कहा कि इस समस्या के समाधान में समाज के सभी तबकों के सक्रिय सहयोग की जरूरत है। इस समस्या से निपटने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रमुख जिलों में बैठकें कर एक माहौल तैयार करें।

कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री एमादुद्दीन अहमद खान ने कहा कि गर्भ में लिंग परीक्षण और भ्रूण

हत्या भी घटते लिंगानुपात का कारण है। इस मौके पर जिला प्रमुखों ने प्रभावी मॉनिटरिंग की जरूरत जताते हुए कई सुझाव दिए।

(रा.प. एवं दैन. भा., 20.08.11)

पंचायतों में मिला 50 फीसदी आरक्षण

केन्द्रीय केबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई से बढ़ा कर 50 फीसदी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि संविधान में 110वें संशोधन विधेयक से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने 26 नवम्बर, 2009 को लोकसभा में एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। इसे संसद की स्थाई समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था। राजस्थान में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पहले से ही लागू है।

(दैन. भा., 22.07.11)

महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और देश की एकता व अखंडता को कायम रखने में अब महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने से हर क्षेत्र में अब वे पुरुषों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं दिखाई दे रही। महिलाएं पंचायतों नगर पालिकाओं से लेकर पुलिस बल तक हर क्षेत्र में खरा उतरी हैं।

यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की नव स्थापित तीसरी महिला

गर्भवती महिलाओं को देने पड़ते हैं पैसे

गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) की कई योजनाएं राज्यों में ठीक से लागू नहीं हो पा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर देश भर में लोगों को अब भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कई स्वास्थ्य केन्द्रों पर तो महिलाओं से प्रसव कराने के पैसे लिए जा रहे हैं।

राजस्थान की क्या स्थिति

(अलवर जिले पर आधारित)

- वसूली जा रही है रजिस्ट्रेशन फीस
- दवाएं खरीदने को देने पड़ते हैं 70 रुपए तक
- हर मेडिकल जांच के एंटे जा रहे हैं 20 रुपए
- मरीज खाने पर कर रहे हैं खुद जेब से खर्च

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 28 राज्यों में कराए गए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में ‘गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं से ली जाने वाली फीस’ नाम से कराए गए सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ है। मुफ्त एंबुलेंस सेवा योजना होने के बावजूद कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने ले जाने के लिए कीमत वसूली जा रही है। जबकि केन्द्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं की जांच, इलाज और एंबुलेंस सेवा के लिए राज्यों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं।

(दैन. भा., 23.09.11)

सड़क सुरक्षा

संगीत सुनते हुए सड़क पार करना खतरनाक

सड़क पार करते समय पर संगीत सुनना खतरनाक है। यह मोबाइल पर टैक्स्ट मैसेज या बात करने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि सड़क पार करते समय हमारा दिमाग कई सूचनाएं प्रोसेस करता है। मसलन, आपके दाएं या बाएं जो कार या अन्य वाहन है वह कितनी तेज गति से जा रहा है, वह आपसे कितनी दूर है, क्या उसकी गति तेज या धीमी हो रही है। इसके हिसाब से आपको सड़क की चौड़ाई और उसको पार करने में लगने वाले समय के बारे में सोचना होता है। ऐसे में मोबाइल या अन्य उपकरण द्वारा संगीत सुनना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है।

हाल ही यह तथ्य एक शोध में सामने आया है, जिसमें 125 से भी ज्यादा छात्रों पर टेस्ट किया गया है। वे टैक्स्ट मैसेज या फोन पर बात करते हुए और संगीत सुनते हुए सड़क पार कर रहे थे। ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना की आशंका दोगुनी हो जाती है। इसी तरह फोन पर बात करने के मुकाबले टैक्स्ट मैसेज करने में भी दुर्घटना की संभावना दोगुनी हो जाती है। शोध में यह बात भी सामने आई कि हर तीन में से एक व्यक्ति सड़क पार करने के दौरान संगीत सुनते हुए सुरक्षित नहीं होता और उसका ध्यान भटक जाता है। तो अब जब भी सड़क पार करे, ध्यान भटकाने वाला कोई काम न करे और म्यूजिक तो हर्गिज नहीं सुनें। (रा.प., 24.08.11)

पर्यावरण

शहर की हवा हुई जहरीली

जयपुर शहर में हर साल हजारों नए वाहन सड़क पर आ जाते हैं, जिनका नतीजा है कि आज सांस लेने के लिए शुद्ध वातावरण भी नहीं बचा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कमियों ने लोगों को खुद का वाहन खरीदने पर मजबूर कर दिया है और इसके चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव जबरदस्त ढंग से बढ़ गया है। प्रदूषण के मामले में चांदपोल सबसे ज्यादा प्रदूषित है जहां पिछले नौ साल में प्रदूषण दो गुने से ज्यादा हो गया है।

वर्ष 2002-03 में चांदपोल में एसपीएम की मात्रा 267.1 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी। अब 2011 में बढ़ कर 604 माइक्रोग्राम हो गई है। इसी प्रकार पार्टिकुलेट मैटर 10 पीएम से कम आरएसपीएम की मात्रा नौ साल पहले 92.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी, जो अब बढ़कर 167 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर हो चुकी है। चाहरदीवारी के सबसे ज्यादा हाल खराब है। यहां संकरी गलियां और वाहनों का दबाव हवा में सर्वाधिक जहर घोल रहा है। (रा.प., 20.09.11)

वित्तीय सेवाएं

पांच फीसदी लोगों का ही बैंक में खाता

सरकार की कोशिश रही है कि आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचें। इसके बावजूद मात्र पांच फीसदी देशवासियों के पास बैंक खाते हैं। यह ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र की 60 फीसदी से अधिक आबादी तक बैंकिंग सेवाएं भी नहीं पहुंच पाई है। यह जानकारी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष प्रतीप चौधरी ने देते हुए बताया कि भारतीय बैंकिंग की कुल संपत्ति दो लाख करोड़ रुपए की हो गई है, जबकि तमाम कोशिशों के बाद भी 120 करोड़ देशवासियों में से मात्र पांच प्रतिशत के पास ही बैंक खाते हैं। देश की 60 फीसदी ग्रामीण आबादी तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से यह पहुंच संभव है। (रा.प., 18.07.11)

डाक विभाग के होंगे देश भर में एटीएम

बैंकों की तरह अब डाक विभाग भी देश भर में खाता धारकों को एटीएम सुविधा उपलब्ध कराएगा। खाता धारकों को बाकायदा डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। गांव देहात में नरेगा कार्ड धारक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। केन्द्र सरकार ने डाकघरों को बैंक में बदलने का मानस बना लिया है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्वीकृति मांगी गई है और पोस्ट ऑफिसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह जानकारी आईटी व डाक विभाग के राज्यमंत्री सचिन पायलट ने देते हुए बताया कि उनके मंत्रालय ने इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। (रा.प., 01.09.11)

निवेशक शिक्षा

प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान।

प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान के तहत कट्स द्वारा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज 'बीएसई' के सहयोग से आयोजित तीसरे दौर की पहली कार्यशाला 22 जुलाई, 2011 को गांधी चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला, नसीराबाद (अजमेर) में तथा दूसरी कार्यशाला 29 अगस्त, 2011 को बालिया बालिका उ.मा. विद्यालय, पाली में सम्पन्न हुई।

इन कार्यशालाओं में बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ईशू तायल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लि. के यशवन्त गुप्ता एवं कट्स के दीपक सक्सेना व धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने निवेशकों को विभिन्न बचत योजनाओं, सुरक्षित निवेश, आर्थिक योजना, प्रथम व द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद, म्युचुअल फण्ड व बॉण्ड्स आदि में निवेश करने सम्बन्धी विभिन्न जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित किया। उन्होंने निवेशकों को यह भी बताया कि वे 'सेबी' को प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित शिकायत किस प्रकार दर्ज करा सकते हैं।

दूरसंचार सेवाएं

अब नहीं आएं अनचाहे कॉलस

टेलीमार्केटिंग के अनचाहे कॉल अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश पर दूरसंचार कंपनियां अनचाहे कॉलस और संदेश पर रोक लगा रही हैं। ऐसी फोन कॉलस पूरी तरह से बन्द करने के लिए उपभोक्ता 'स्टार्ट 0 1909' पर एक एसएमएस भेज सकते हैं।

दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा कि हमारे सारे परिचालक अनचाहे कॉल और एसएमएस की समस्या को खत्म करने के लिए ट्राई की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि हम 100 एसएमएस प्रति सिम (प्रति दिन) के बाद चिंतित हैं और हम इसके समाधान के लिए नियामक से बातचीत करेंगे। प्रति सिम 100 एसएमएस करने की ट्राई की रोक 27 सितम्बर से लागू हो जाएगी। त्योहारों के अवसर पर यह रोक लागू नहीं होगी। बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर के उपाध्याय ने कहा कि हम तैयार हैं और हम ट्राई की अनिवार्यताएं पूरी करेंगे।

(रा.प., 27.09.11)



उपभोक्ता फैसले

अस्पताल को भारी पड़ा इलाज में लापरवाही बरतना

प्रमिल कुमार जोशी हिन्दुस्तान जिक की जावर माइन्स शाखा में मैकेनिकल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनकी स्टाफ बस हिरणमगरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनके बाएं पैर के अंगूठे में फ्रेक्चर हुआ। उन्हें मधुबन स्थित अंकित ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ले जाया गया, जहां अस्पताल मालिक डॉ. रतन शर्मा ने सर्जिकल ऑपरेशन की सलाह दी। डॉ. रतन शर्मा व डॉ. संगीता गोयल की सहमति से प्रमिल को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, जबकि ऐसे मामलों में लोकल एनेस्थीसिया देना चाहिए था। ऑपरेशन के बाद जब प्रमिल को थियेटर से बाहर लाया गया तो वे अचेत थे। थोड़ी देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी और स्थिति काबू से बाहर हो गई तो उन्हें जनरल हॉस्पिटल के लिए रैफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पर दोनों डॉक्टरों के खिलाफ हाथीपोल थाने में उपचार में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराया गया था।

गायत्री नगर निवासी उनकी पत्नी वीना जोशी, बेटी कोमल व बेटे बबलित ने जिला उपभोक्ता मंच, उदयपुर में डाक्टरों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया और सभी तथ्यों से मंच को अवगत कराया। मामले की सुनवाई व जांच में यह पाया गया कि ज्यादा एनेस्थीसिया देने से उनकी मौत हुई थी और इलाज में लापरवाही बरती गई थी। मंच ने हॉस्पिटल और उसके मालिक को दोषी मानते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और यह राशि मृतक की पत्नी और उनके दोनों बच्चों को देने का आदेश दिया। (दै.भा. एवं रा.प., 15.07.11)

अस्पताल भरे 50 लाख रुपए का जुर्माना

राज्य उपभोक्ता आयोग ने 14 साल पहले इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे का हाथ काटने के मामले में जयपुर के झोटवाड़ा स्थित दीप हॉस्पिटल पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि प्रार्थी योगेश को देने के निर्देश दिए गए हैं।

11 फरवरी 1997 को पेड़ से गिरने के कारण 13 वर्षीय योगेश के दाएं हाथ की हड्डियां बाहर आ गई थीं। उसे दीप अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां हड्डी सैट नहीं होने के कारण प्लास्टर नहीं किया गया था और केवल घाव को ही साफ किया गया।

इसके बाद 12 व 13 फरवरी को घाव को साफ कर कच्चा प्लास्टर बांध दिया। 14 फरवरी को डॉक्टर ने प्लास्टर हटाया तो वहां पर गैंगरीन (मांस का सड़ाव) होना पाया गया। इसके बाद उसे एसएमएस अस्पताल में दिखाया गया तो डॉक्टरों को उसका हाथ काटना पड़ा। उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला उपभोक्ता जिला मंच जयपुर के आदेश को निरस्त करते हुए सुनाया। (दै.भा., 19.07.11)



खास समाचार

वापस कर सकेंगे बेचा गया माल

प्रदेश में अब कोई भी दुकानदार बिका हुआ माल वापस लेने से इन्कार नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं वे कैशमीरों व बिलों पर बिका हुआ माल वापस नहीं लेने की शर्त भी प्रिंट नहीं

ग्राहक कर सकेंगे शिकायत

अब कमजोर गुणवत्ता के कारण बिक रहे सामान को उपभोक्ता आसानी से दुकानदार को लौटा सकता है। यदि दुकानदार नहीं मानता है तो ग्राहक इसकी शिकायत भी कर सकेंगे।

-जे.सी. महान्ति,

प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)

करा सकेंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे गैरकानूनी माना है। ऐसे मामलों में पीड़ित ग्राहक अब जिला कलेक्टर, उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता मंचों में शिकायत कर सकेंगे।

विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।

विभाग का मानना है कि 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' शर्त पर सामान खरीदने के बाद सामान खराब निकल जाए तो ग्राहक को इसे बदलवाने में बहुत मुश्किल होती है। दुकानदार इस आड़ में ग्राहकों को परेशान करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। (रा.प. एवं दै.भा., 28.09.11)

उत्पादों पर लिखना होगा हानि-लाभ

डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों (पैकड फूड) के लिए केन्द्र सरकार ने सेफ्टी फूड गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग व पैकेजिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। पैकेट पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित पूरी जानकारी देनी होगी। खाद्य वस्तु में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम मात्रा आदि का उल्लेख अनिवार्य है तथा इस्तेमाल किए गए प्रिंटेड का नाम उम्र के अनुसार इस्तेमाल की मात्रा तथा उसे संरक्षित रखने का तरीका दर्शाना होगा।

भारतीय गुणवत्ता परिषद के अनिल जौहरी ने बताया कि गाइडलाइन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सौंप दी गई है, जिसे सभी कंपनियों को लागू करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी गाइडलाइन राजस्थान में भी लागू की जाएगी। (दै.भा., 15.07.11)

वकील की सेवा लेना अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंज्यूमर फोरम में मुकदमा लड़ने के लिए वकील की सेवा लेना अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद अथवा ऐजेंट के जरिए अपनी बात कह सकता है। जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में साफ लिखा है कि अपने मामले के लिए वकील की सेवा लेने के लिए बाध्य करना कानून के खिलाफ होगा। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि सिर्फ वकीलों को ही कंज्यूमर फोरम में पेश होने की अनुमति मिलनी चाहिए। (दै.भा., 31.08.11)

ग्राम पंचायतों में 'सामुदायिक जनित अंक पत्र' प्रणाली का प्रयोग

जैसा कि आपको विदित है 'अन्ता' द्वारा समर्थित परियोजना 'कट्स कैग' के तहत पूरे राजस्थान में कट्स द्वारा सुशासन एवं जवाबदेही विषय पर स्वयंसेवी संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाया गया है। उक्त परियोजना के तहत प्रदेश में 66 भागीदार सहभागी संस्थाओं को सामाजिक जवाबदेही के एक उपकरण 'सामुदायिक जनित अंक पत्र' पर प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के पश्चात सभी संस्थाएं अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में 'सामुदायिक जनित अंक पत्र' प्रणाली का क्रियान्वयन कर रही हैं। इन तीन महीनों में सहभागी संस्थाओं द्वारा 19 ग्राम पंचायतों में इस प्रणाली का प्रयोग किया जा चुका है जबकि अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।